मद संख्या : 2

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 124वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 25–04–2011 की
अनुपालन आख्या

मद सं0	विषय	निर्णय	अनुपालन आख्या
1–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 25–11–2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	बोर्ड द्वारा दिनॉक 25–11–2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्व सम्मति से की गई ।	कार्यवाही वांछित नहीं है।
2–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 25–11–2010 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या।	बोर्ड द्वारा दिनॉक 25–11–2010 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई । अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि :– मैट्रो परियोजना के द्वितीय फेज के विस्तार हेतु जिलाधिकारी के सामने अद्यावधिक जानकारी के साथ प्रस्तुतिकरण किया जाये एवं तदोपरान्त बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये । प्रथम चरण में नगर निगम व सिंचाई विभाग की महायोजनानुसार ग्रीन वैल्ट हेतु आरक्षित भूमि को चिन्हित करते हुए पार्क/ग्रीन बैल्ट विकसित की जाये। पार्क/ग्रीन बैल्ट में आवश्यक जन सुविधाओं के साथ –साथ मनोरंजन की सुविधाओं का भी प्राविधान किया जाये। इस संबंध में जिलाधिकारी, गाजियाबाद के साथ स्थल निरीक्षण कर लिया जाये । महायोजना में प्रस्तावित कृषि क्षेत्र में स्थित इंजीनियरिंग/डेन्टल कालेज के भू–उपयोग संबंधी प्रस्ताव शासन को आगामी 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर दिया जाये। केन्द्रीय सडक अनुसंधान (सी0आर0आर0 आई0 के माध्यम से गाजियाबाद नगर का कम्प्रीहैंसिव मोबिलिटी प्लान के संबंध में निर्देश दिये गये कि एक माह के अन्दर एक्शन प्लान तैयार कर लिया जाये । मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में गाजियाबाद में लोनी विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सादुल्लाबाद के सन्दर्भित खसरा नम्बर की भूमि पर स्वीकृत ले आऊट के क्रम में सन्दर्भित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु जन सामान्य से आपत्ति/सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए 15 दिन के अन्दर प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया जाये । गोविन्दपुरम, कमला नेहरू नगर, क्षेत्र में भारत सरकार की रिक्त भूमि के संबंध में भूमि का आईडेन्टीफिकेशन करके प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।	कार्यवाही वांछित नहीं है। प्रस्ताव मद सं0 04 पर प्रस्तुत है । बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा गठित कमेटी द्वारा हिण्डन नदी के साथ जिला प्रशासन, राजस्व विभाग,नगर निगम तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया है, जिसमें भूमि चयन एवं हस्तान्तरण की प्रक्रिया विचाराधीन है । निर्णय अनुसार आवेदित संस्थाओं को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, शमन शुल्क तथा विकास शुल्क जमा करने की सहमति स्थल अनुसार निर्मित भवन को मानचित्र उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किये गये हैं। उपरोक्तानुसार सहमति एवं आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी। महायोजना अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में स्थित इन्जीनियरिंग/ डेन्टल कालेज के भू–उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी अद्यतन स्थिति मद सं0 05 पर प्रस्तुत है। गाजियाबाद नगर की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने की दृष्टि से तैयार किया गया प्रस्तुतीकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है । पत्र दिनांक 17–6–11 शासन को प्रेषित किया जा चुका है ।

			निर्देशानुसार स्थल का परीक्षण किया गया एवं भूमि के सम्बन्ध में सी0पी0 डब्लू0डी0 विभाग से सम्पर्क किया गया, जिसपर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत भूमि उनके उपयोग की है तथा उक्त भूमि का हस्तान्तरण प्राधिकरण को किया जाना सम्भव नहीं है । यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत भूमि में से 53 एकड़ भूमि पर प्रस्ताव निर्माण अनुज्ञा हेतु प्राधिकरण में प्रस्तुत भी किया गया है ।
3–	शासनादेश संख्या 1106/9–आ– 1–(आ0ब0) बोर्ड बैठक /2001 दिनॉक 01–3–2001 के बिन्दु –18 में इंगित बिन्दुओं पर सूचना ।	बोर्ड द्वारा शासनादेश संख्या 1106/9–आ–1–(आ0ब0) बोर्ड बैठक /2001 दिनॉक 01–3–2001 के बिन्दु –18 में इंगित बिन्दुओं पर दी गयी सूचनाओं का अवलोकन किया गया तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गयेः– भू–अर्जन प्रस्तावों के संबंध में जिला प्रशासन एवं प्राधिकरण के अधिकारियों के मध्य जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा रिव्यू कर लिया जाये जिससे कि भू–अर्जन की कार्यवाही त्वरित गति से हो सके । चूॅकि मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में भूमि प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी जानी थी, किन्तु प्रशासन द्वारा भूमि उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में प्राधिकरण अर्जित भूमि में ही भवनों का निर्माण करेगी, इस भूमि की प्रतिपूर्ति हेतु यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की अर्जित भूमि के आस–पास/मध्य जो भूमि एल0एम0सी0/सिंचाई विभाग की है, उसे प्रशासन/ नगर निगम द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क उपलब्ध करा दिया जाये ।	विस्तृत प्रस्ताव मद सं0–3 पर प्रस्तुत है । निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी गाजियाबाद से सम्पर्क कर लम्बित भू–अर्जन प्रस्तावों पर विचार विमर्श हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 19–5–11 में बैठक आहूत कराई गयी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा चल रहे भूमि अर्जन प्रस्तावों पर त्वरित गति से कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। तदानुसार कार्यवाही की जा रही है । मा0 श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत प्रयुक्त की गयी अपनी योजना की बहुमूल्य भूमि के बदले योजनागत क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम समाज की भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु पत्र सं0212/12/ भू0अ0अ0/11 दिनांक 16–5–11 से अनुरोध किया गया, परन्तु जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा इस सम्बन्ध में शासनादेश की अपेक्षा की गयी है। तदानुसार प्राधिकरण द्वारा पत्र सं0 264/12/भू0अ0अ0/11 दिनांक 8–6–11 एवं 247/12/भू0अ0अ0/11 दिनांक 3–6–11 के माध्यम से ग्राम समाज एवं सिंचाई विभाग की निष्प्रयोज्य भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने का अनुरोध शासन से किया गया है।
4–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2010–2011 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2011–2012 का प्रस्तावित आय–व्ययक।	बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2010–2011 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2011–2012 का प्रस्तावित आय – व्ययक (बजट) स्वीकृत किया गया। आडिट के संबंध में अवगत कराया गया कि स्थानीय निधि लेखा के सम्प्रेक्षकों द्वारा आडिट निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है एवं जिसका निराकरण समय– समय पर प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।	अनुपालन किया जा रहा है।
5–	आवासीय सह व्यवसायिक भू – उपयोग हेतु जोनिंग रेगूलेशन के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता के संबंध में।	बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि मिश्रित आवासीय उपयोग में प्रस्तावित जोनिंग रेगूलेशंस के अनुसार यदि आवासीय के साथ–साथ व्यवसायिक व कार्यालय आदि क्रियायें अनुमन्य नहीं हैं तो मिश्रित भू–उपयोग की श्रेणी के अन्तर्गत तदनुसार जोनिंग रेगूलेशंस प्रस्तावित करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है ।
6–	कमला नेहरू नगर के अन्तर्गत भारत सरकार के कार्यालयों की स्थापना हेतु योजना के अन्तर्गत कतिपय क्षेत्र पार्क एवं खुले स्थल (स्टेडियम) एवं सिटी फोरेस्ट भू–उपयोग से	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा तथा भू–उपयोग परिवर्तन की दशा में 52.92 एकड भूमि अन्य उपयोग से ग्रीन बैल्ट	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार एन0डी0आर0 एफ0 को पत्र प्रेषित किया गया है। एन0डी0आर0 एफ0 की सहमति प्राप्त नहीं होनें के कारण अग्रेतर कार्यवाही किया जाना

	कार्यालय भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में ।	उपयोग में प्रस्तावित करते हुए प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में तदनुसार प्रस्तुत किया जाये ।	सम्भव नहीं है ।
7–	लोनी महायोजना के अन्तर्गत राजस्व ग्राम सादुल्लाबाद, गाजियाबाद के खसरा नम्बर 1215, 1216 व अन्य पर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत तलपट मानचित्र के विरूद्ध महायोजना – 2021 में प्रदर्शित हरित पट्टी का भू–उपयोग आवासीय में परिवर्तित करने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि मै0 चौधरी प्रोपर्टीज के प्रकरण में प्राधिकरण के मुख्य विधि परामर्शदाता द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की देयता देय होगा तथा 2070 वर्ग मीटर भूमि अन्य किसी भू–उपयोग से ग्रीन बैल्ट भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार विकासकर्ता को पत्र प्रेषित किया गया है। विकासकर्ता का पत्र दिनांक 17–6–11 प्राप्त हुआ । उक्तानुक्रम में प्रस्ताव मद सं0 06 पर प्रस्तुत है ।
8–	रमते राम रोड पर वर्तमान में स्थित नगर निगम के जलकल कार्यालय व उसके साथ संलग्न भूमि पर नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा मल्टीप्लेक्स/पार्किंग योजना के मानचित्र के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि मल्टीप्लेक्स को सर्विस रोड के माध्यम से एप्रोच दिया जाये ताकि यातायात सुगम रूप से चलता रहे ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
9–	मै0 अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 कन्सोर्सियम द्वारा ग्राम डूडाहेडा में विकसित की जा रही इन्टीग्रेटेड टाऊनशिप की डी0पी0आर0/ले आऊट प्लान के अनुमोदन के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है ।
10–	मैसर्स अग्रवाल एसोसिएट प्रोमेटर्स लि0 (कन्सोर्सियम) द्वारा ग्राम शाहपुर बम्हैटा में विकसित की जा रही इन्टीग्रेटेड टाऊनशिप की डी0पी0आर0 / ले आऊट प्लान के अनुमोदन के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है ।
11–	केन्द्रीय सडक अनुसंधान संस्थान (सी0आर0आर0 आई0), नई दिल्ली के माध्यम से गाजियाबाद नगर का कम्प्रीहैंन्सिव मोबिलिटी प्लान तैयार किये जाने की प्रगति	कम्प्रीहैंन्सिव मोबिलिटी प्लान के संबंध में वर्तमान तक की प्रगति अवलोकित की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि आगामी बोर्ड बैठक में उक्त आधार पर तैयार किया गया एक्शन प्लान प्रस्तुत किया जाये ।	गाजियाबाद नगर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु एक प्रस्तुतीकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।
12–	व्यवसासयिक सम्पत्तियों के निस्तारण में आरक्षण लागू किये जाने के संबंध में ।	बोर्ड द्वारा शासनादेश संख्या 4982/ 9–आ–1–99–79 बैठक /99 दिनांक 17–12–1999 को व्यावसायिक सम्पत्तियों के निस्तारण में आरक्षण लागू किये जाने की व्यवस्था को अंगीकृत किया गया ।	अनुपालन किया जा रहा है ।
13–	सैक्टर–23 राजनगर गाजियाबाद स्थित डा0 अम्बेडकर भवन व बुद्ध विहार की 1750 वर्ग मीटर भूमि को नियमित करने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
14–	पुर्नवास योजना झुग्गी झोपडी एवं साईट एण्ड सर्विसेज , सैक्टर– 11 व 12 विजयनगर भवनों एवं भूखण्डों का फ्रीज मूल्य की अवधि 31–12–2011 तक बढाये जाने के संबंध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया । चूँकि भवन/भूखण्ड रियायती दरों पर आवंटित होने हैं, अतः ऐसे भूखण्ड/भवन लीज पर ही आवंटित किये जायें ।	बोर्ड निर्णय के क्रम में साईट एवं सर्विसेज के भूखण्ड की मानक कीमत रू0 42000/– एवं झुग्गी झोपड़ी के भवनों की कीमत रू0 1.00 लाख फ्रीज किये जाने का व्यापक विज्ञापन, प्रचार प्रसार समाचार पत्रों में किया गया । आवंटियों की सुविधा के दृष्टिगत दिनांक 10–6–2011 को स्थल पर कैम्प लगाया गया था , कैम्प के दौरान 10 आवंटियों द्वारा कुल 6 लाख 5 हजार रूपये कैम्प के दौरान ही जमा कराये गये थे, बाद में भी आवंटियों द्वारा धनराशि जमा कराई गयी । इस प्रकार साईट एवं सर्विसेज के भूखण्ड 2106 के सापेक्ष 18 आवंटियों द्वारा धनराशि जमा कराई जा चुकी है एवं झुग्गी झोपड़ी के विस्थापितों के भवनों के सापेक्ष 11 आवंटियों द्वारा धनराशि जमा कराई जा चुकी है ।
15–	राजस्व ग्राम महीउद्दीनपुर कनावनी को जनपद गौतमबुद्ध नगर को जनपद गाजियाबाद में सम्मिलित कराये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया, किन्तु इस प्रकिया में दोनों जनपदों के जिलाधिकारियों की अनापत्ति भी प्राप्त करते हुए शासन को प्रेषित किया जाये ।	जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर को पत्र प्रेषित किया गया है । अनापत्ति प्राप्त होते ही प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा।

16–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय मनोरंजन पार्क के निर्माण हेतु राजस्व ग्राम अर्थला की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी 4(1) की विज्ञप्ति से स्वीकृत मानचित्र वाली भूमि को पृथक करने के संबंध में ।	भूमि को अर्जन प्रस्ताव से पृथक किये जाने हेतु क्या शर्तें होगीं, के संबंध में तत्समय स्वीकृत ले आऊट प्लान, मानचित्र तथा निर्माण की स्थिति आदि पूर्ण विवरण के साथ आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये ।	सम्बन्धित अभिलेख आवेदन कर्ता से मांगे गये है। अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा।
17–	आवासीय योजना कौशाम्बी के ग्राम हसनपुर भोवापुर के खसरा नम्बर 171 की अर्जित भूमि के बदले भूमि दिये जाने के संबंध में ।	बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि शासनादेश संख्या 28सी0एम0 1–13–2003 – 2 (8) /03 –रा0–13 दिनॉक 07–6–2003 के अनुसार कार्यवाही की जाये ।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है ।
18–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रवर्तन कार्य /अतिक्रमण व्यवस्था हेतु होमगार्डस नियुक्त किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	अनुपालन हो चुका है ।
19–	श्री शील कुमार जैन, अवर अभियन्ता के पिता के इलाज पर व्यय राशि का भुगतान किये जाने विषयक ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	अनुपालन किया जा रहा है।
20–	श्री जवाहर राम, अवर अभियन्ता के इलाज पर व्यय राशि का भुगतान किये जाने विषयक ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।	अनुपालन किया जा रहा है।
21–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में क्रय की गई दो अम्बेसेडर कार के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अनुपालन आख्या के समय यह भी स्पष्ट किया जाये कि निष्प्रयोजन वाहनों की नीलामी कब की गई व उनकी निष्प्रयोज्यता रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाये ।	वाहन सं0 यू0पी0–14 वी 3636 अम्बेसडर कार की नीलामी दिनांक 08–2–2011 को करा दी गयी,जिसकी निष्प्रयोज्यता रिपोर्ट संलग्न है । वाहन सं0 यू0पी0 14 एडी 7722 जिप्सी चोरी होनें के कारण उसके स्थान पर वाहन क्रय किया गया था। सम्प्रति चोरी गयी जिप्सी थाना कटरा जिला शाहजहांपुर से बरामद हो गयी है ।
22–	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद के द्वारा सुरक्षा, यातायात व्यवस्था एवं जनपद की सुरक्षा हेतु पुलिस प्रशासन को वाहन (टैक्सी) उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	अनुपालन हो रहा है ।
23–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की किराये पर उठी सम्पत्तियों का निस्तारण ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ऐसी सम्पत्तियों का सम्पत्तिवार विवरण उपलब्ध कराते हुए आज की दर पर पुर्नमूल्यॉकन करते हुए प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।	वर्तमान दर पर इन भवनों का मूल्यांकन कराया जा रहा है । मूल्यांकन के पश्चात प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।
24–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं हेतु योजना क्षेत्र के अन्तर्गत पडने वाली भूमि संबंधित कृषक/भूस्वामी से सीधे क्रय किये जाने के विषय में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस वे अथारिटी की प्रक्रिया का अध्ययन करते हुए नीति बना ली जाये तथा क्रय की प्रक्रिया एक समिति के माध्यम से की जाये जिसमें जिला प्रशासन के प्रतिनिधि भी शामिल हों ।	नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस–वे के अथारटी की प्रकिया को अध्ययन किया गया, जिसके अनुसार सम्बन्धित अथारटी द्वारा आपसी समझौते के आधार पर भूमि के प्रतिकर के मूल्य का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त प्रतिकर की दर निर्धारित की गयी तदोपरान्त प्रत्येक वर्ष में मूल्य ह्रास की गणना करते हुए नई प्रस्तावित योजना हेतु भूमि का प्रतिकर बोर्ड के माध्यम से निर्धारित किया जाता है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 में भूमि अर्जन की नई नीति शासनादेश सं0 632/एक –11–14–20(24)/2006, दिनांक 2–6–11 के द्वारा लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रावधान किये गये हैं । शासन द्वारा लागू नई नीति एवं ग्रेटर नोएडा तथा नोएडा मे भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों का तुलनात्मक अध्ययन करने से शासन द्वारा लागू नहीं नीति अधिक प्रभावी एवं उपयुक्त प्रतीत होती है । अतः नई नीति के अनुसार ही भूमि प्राप्त करना अधिक श्रेयस्कर प्रतीत होता है । नई नीति में

			कतिपय दिशा निर्देश हेतु पत्र सं0 284/12/भू0अ0 अ0/11 दिनांक 17–6–11 भेजा गया है ।
25–	ग्राम सदरपुर के खसरा संख्या 1601 पर बैंक्वट हाल/ बारात घर के मानचित्र के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि मै0 चौधरी प्रोपर्टीज के प्रकरण में प्राधिकरण के मुख्य विधि परामर्शदाता द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की देयता के संबंध में दी गयी विधिक राय के क्रम में नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा तथा 2960.95 वर्ग मीटर भूमि अन्य किसी भू–उपयोग से ग्रीन बैल्ट भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।	प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार आवेदक/ भूस्वामी को पत्र प्रेषित किया गया है। आवेदक/भू–स्वामी की सहमति प्राप्त नहीं होनें के कारण अग्रेतर कार्यवाही किया जाना समव नहीं है।
26–	नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिया गया सुझाव।	नगर आयुक्त द्वारा अनधिकृत कालोनियों के अध्ययन के संबंध में बोर्ड के सम्मुख सुझाव दिया गया, जिसके क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि अनधिकृत कालोनियों के अध्ययन हेतु प्रथम चरण में गोविन्दपुरम स्थित अनाधिकृत कालौनी (राजीव कालौनी) के लिए कन्सल्टैन्ट की नियुक्ति करते हुए यथोचित प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।	गोविन्दपुरम में राजीव कालोनी नहीं है और न ही यह प्राधिकरण की भूमि पर स्थित है । इसके स्थान पर राहुल विहार लिया गया है, जिसका सर्वेक्षण करा लिया गया है । सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हेतु कन्सलटैन्ट नियुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
27–	अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देश ।	मुख्य अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि नगर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित विभिन्न विभागों की सडकों के सुदृढीकरण एवं विस्तार हेतु प्रस्ताव तैयार कराकर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुतिकरण के साथ प्रस्तुत किया जाये । बैठक में लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, सिंचाई विभाग, सी0पी0डब्लू0डी0 व नेशनल हाईवे आदि विभागों के अधिकारियों को बुलाया जाये।	गाजियाबाद विकास क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर महायोजना (बाईपास) मार्गों, मैट्रो रेल कॉरीडोर, अण्डरपास/आर.ओ.बी. एवं फुट ओवरब्रिज/ सब–वे के निर्माण हेतु परियोजना तैयार कर कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागों के स्रोतों से वित्त पोषण हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये जाने हेतु पत्रांक–133/4 /सी.ई./2011, दिनांक 22.06.11 द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को भेज दी गयी है। सम्बन्धित परियोजना का पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण में प्रतिभाग करने हेतु सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं रेलवे विभाग को पत्र भेजकर अनुरोध किया गया है।